

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं.14012/27/2013-अ.भा.से.-III

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2014

### अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिदीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विकास सिंह, 2010 बैच के मणिपुर-त्रिपुरा राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य को दिनांक 30/08/2012 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

  
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
फरीदाबाद (हरियाणा)